Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.889, Volume 12, No. 02, April-June 2022, pp. 119-124

भारत में महिला सशक्तिकरण और कानून

डॉ. रमेशी मीना*

सार

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है। इसलिये महिलाओं को समाज में और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे कानून बनाये हैं। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। अगर इतने कानूनों का सचमुच पालन होता तो भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाना था लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज हालत ये है कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर बहुत सारे कानूनों का बहुत कम पालन हो रहा है, लेकिन भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाये गये हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिये। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्म निर्भर है तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

शब्दकोशः *महिला सशक्तिकरण, अधिनियम, अधिकार, आत्मसम्मान, संविधान, दहेज निषेध, घरेलू हिंसा।*

प्रस्तावना

मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट ने कहा है – ''नारी भी मानव है उसे उस रूप में अधिकार मिलना चाहिए..... एक विवेकशील ईश्वर आधी मानव जाति को बुद्धिहीन तो रखेगा नहीं।''[1] 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया– ''महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।''

डॉ0 अम्बेडकर ने कहा है कि ''भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किन्तु आँसुओं की चिंता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, अपमान, शोषण से अवश्य डरती है।''[2] नोबेल पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन ने लिखा है कि ''महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा।''[3]

---

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, एम.एस.जे. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा–निहित अनुसार सभी लिंगों को समान अधिकार देता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। संविधान महिलाओं के संचयी सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिये राज्य को अधिकृत भी करता है। यह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का दावा कर पाती है। इस प्रक्रिया के साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की सामर्थ्य के साथ घर के अन्दर और बाहर निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता जुड़ी होनी चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्राचीनकाल से ही स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल में स्त्रियाँ विदूषी, पराक्रमी, सबला और शक्तिशाली थीं। वह पुरुष की पूरक, अर्द्धांगिनी और सर्वशक्ति सम्पन्न थीं।[4] उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में ह्रास प्रारंभ हुआ। विवाह, धर्म, सम्पत्ति एवं शिक्षा के ह्रास होने के फलस्वरूप स्त्रियों की प्रस्थिति में पतन होने लगा।[5] मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों ने स्त्रियों की दशा और भी दयनीय बना दिया। बाल हत्या, सतीप्रथा, जौहर प्रथा, विधवाओं की उपेक्षा, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी बुराईयों ने समाज में जड़ जमा ली।[6] आधुनिक काल में कमोवेश, विभिन्न धर्मिक समुदायों ने महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ भिन्नताओं के बावजूद सम्पूर्ण भारतीय समाज में महिलाएँ पुरुषों के अधीन ही प्रतीत होती हैं। जहां लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था समाज के सम्पूर्ण क्रियाकलापों को संचालित कर रही है। महिलाओं का आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त होना उनके आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण का सीधा सम्बन्ध महिलाओं की अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना स्तर से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान आन्दोलन चलाये गये लेकिन स्वतंत्र भारत में महिला आन्दोलन की शुरूआत 1970 के दशक से मानी जाती है। 1967 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने महलाओं के विरूद्ध भेदभाव समाप्ति से सम्बद्ध घोषणा एवं सदस्य देशों ने अपने देशों की महिला प्रस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर 1971 में भारत सरकार की समाज कल्याण राज्य मंत्री फूलरेणु गुहा के नेतृत्व में ''भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति'' का गठन किया गया। इस समिति ने 1974 में अपना प्रतिवेदन 'टुवार्डस इक्वालिटी' सरकार को प्रस्तुत किया। स्वाधीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर यह पहला विस्तृत प्रतिवेदन था।

समिति के प्रतिवेदन में सामाजिक विधायन, कानूनों में यथेष्ट संशोधन, समन्वय, सम्प्रेषण एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकता तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना को भी रेखांकित किया गया।[7]

इन प्रयासों के अन्तर्गत संसद ने सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया एवं सन् 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी क्षेत्रों में विशेषकर राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों तक महिलाओं की पहुंच एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इस हेतु सभी आवश्यक कदम, जिससे उच्च विधायी निकायों सहित अन्य सभी क्षेत्रों, यथा शिक्षा, नियोजन आदि में आवश्यकतानुसार समयबद्ध आरक्षण भी शामिल है, उठाने का संकल्प लिया गया है।[8]

भारतीय संविधान एवं महिला सशक्तिकरण

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और उनमें किए गए महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 14	:	राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा चाहे वह महिला हो या पुरुष।
अनुच्छेद 15 (3)	:	महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 16	:	लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19	:	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 23, 24	:	नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।
अनुच्छेद 39 (घ)	:	स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 42	:	महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 46	:	राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।
अनुच्छेद 47	:	लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व।
अनुच्छेद 51क(ङ)	:	प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करे।
अनुच्छेद 243(घ)(न)	:	पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।
अनुच्छेद 325	:	निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।[9]

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए कानून

महिलाओं के प्रति बढते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गये हैं। ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें तथा सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध व्यवस्था की गई है।

दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान

दहेज हत्या को लेकर भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में स्पष्ट प्रावधान है। इसके अन्तर्गत धारा 304 (बी), 302, 306 एवं 498 (ए) आती है।

- **धारा 304 बी :** दहेज हत्या का अर्थ है, औरत की जलने या किसी शारीरिक चोट के कारण मौत या शादी के 7 साल के अन्दर किन्हीं संदेहजनक कारण से हुई मृत्यु। इसके सम्बन्ध में धारा 304 (बी) में सजा दी जाती है। जो कि 7 साल कैद है। इस जुर्म के अभियुक्त को जमानत नहीं मिलती।
- **धारा 302 :** आई.पी.सी. की धारा 302 में दहेज हत्या के मामले में सजा का प्रावधान है इसके तहत किसी औरत की दहेज हत्या में अभियुक्त का अदालत में अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद या फाँसी हो सकती है।
- **धारा 306 :** अगर ससुराल वाले किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से हिंसा का शिकार बनाते हैं, जिसके चलते वह औरत आत्महत्या कर लेती है, तो धारा 306 लागू होगी, जिसके तहत दोष साबित होने पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है।
- **धारा 498 (ए)** : पति या रिश्तेदार के द्वारा दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा का व्यवहार करने पर आई.पी.सी. की धारा 498 (ए) के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

यौन अपराध एवं बलात्कार सम्बन्धित कानून

देश में बलात्कार के लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सबूतों के अभाव, धीमी पुलिस जांच में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती थी, लेकिन नए कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त होने के बाद भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। अधिकतर औरतें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से भी डरती हैं, क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है।

बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह समझ सकती है। अगर कोई पीड़ित महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है।

- **धारा 375** : आई.पी.सी. की धारा 375 के तहत जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। बलात्कार तब माना जाता है। यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनाकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो।

यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के, 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नि के साथ।

- **धारा 376 :** भारतीय दंड संहिता या आई.पी.सी. मे बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत बलात्कार के आरोपी को कम से कम 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन के लिए यानि 10 वर्ष की अवधि का हो सकता है। किन्तु वह स्त्री जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, वह अपराधी की पत्नी हो और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है।

अन्य यौन अपराध से संबंधित कानून

- **धारा 354 :** आई.पी.सी. में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

छेड़खानी पर कानून

- **धारा 509, 294** : आई.पी.सी. के अनुसार कोई भी शब्द, इशारा या मुद्रा जिसे महिला की मर्यादा का अपमान हो। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है, या कोई इशारा करता है, या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है तो उसे 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।[10]

महिला सशक्तिकरण और प्रमुख अधिनियम

हमारे देश में सदियों से चली आ रही कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से देश को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने हेतु भी अधिनिमय पारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम निम्न है :–

- **अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956** : महिलाओं से अनैतिक कार्य तथा बलपूर्वक देह व्यापार करना इस अधिनियम के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6, 10 (क) अन्तर्गत महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। अधिनियम द्वारा वैश्यागृह चलाने के लिए उत्प्रेरित करना अथवा वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 :** दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज देने या लेने या दुष्प्रेरण को दण्डनीय बनाया गया है। 1986 में इस सम्बन्ध में संशोधित अधिनियम पारित किया गया।[11]
- **प्रसूति, प्रसुविधा अधिनियम 1961 :** कामकाजी महिलाओं को प्रसूति की सुविधा देने के लिए पारित इस अधिनियम द्वारा कामकाजी महिलाओं को संस्थान के द्वारा अवकाश तथा जरूरी चिकित्सा सुविधा दिलाने की व्यवस्था की गई है। आजकल पुरुषों को भी विशेष अवकाश देने का प्रावधान किया गया है।
- **स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 :** इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन को प्रकाशित करने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दृष्टि से अधिनियम की धारा 3, 4, 5, आदि महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में महिला अपराध तलाशी जेल संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976** : कामगार महिलाओं का समाज में आर्थिक समानता के अधिकार के लिए 'समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976' में लाया गया। इस अधिनियम में पारिश्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव अपराध माना गया है।
- **प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 :** विकसित तकनीकी के दुरूपयोग को रोकने की इस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गयी है। गर्भावस्था में भ्रूण की पहचान नर या मादा के रूप में करना इस अधिनियम द्वारा दंडनीय माना गया है।[12]
- **अन्य अधिनियम :** कुछ अन्य अधिनियम द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। विवाह कानून अधिनियम 1976, में विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में तात्कालिकता के अनुरूप संशोधन करके कन्या को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह बालिग होने से पूर्व किये गये विवाह को अमान्य करार दे सकती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा महिला को अधिकार दिया गया है कि वह अपना धर्म बदले बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार दिया गया है। यह अधिकार कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नये कानूनों में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के मामलों की रोकथाम में काफी प्रभावी माना जा सकता है। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, और कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 भी महिलाओं को सशक्त करने में अहम कानून है।

इसके साथ–साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किये गये हैं जिनमें भारत सरकार के द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना प्रमुख रूप से हैं। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित एवं विकास के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है।[13]

निष्कर्ष

अतः कोई भी देश उन्नति पर तब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उस देश की महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनना होगा। एक बार जब महिला अपना कदम आगे बढ़ा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है और राष्ट्र का विकास होता है।महिला सशक्तिकरण के उच्च्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे प्रति एक परिवार में बचपन से ही प्रचारित व प्रसारित करना आवश्यक है इसके लिए यह भी मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को एक बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। अतः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीरथी प्रयास करने होगें तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना होगा। इन सामूहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आशा कौशिक, सम्पादित नारी सशक्तिकरण– विचार–विमर्श, पृ. 267।
2. नानकचन्द रत्तू, डॉ. अम्बेडकर कुछ अनछुए प्रसंग।
3. प्रो0 अमर्त्यसेन, 'India Economic Development and Social Opportunity'.
4. अंसारी एम.ए., ''महिला और मानवाधिकार'' ज्योति प्रकाशन, जयपुर–2003
5. कटारिया कमलेश, ''नारी जीवनः वैदिक काल से आज तक'' यूनिक ट्रेडर्स जयपुर 2003।
6. प्रतियोगिता दर्पण मई 2009, पृष्ठ 31, दशम् अंक।
7. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2009 पृष्ठ 32 चतुर्थ अंक।
8. मेरी वोल्सटन क्राफ्ट, ''स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन'', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली–2003।
9. लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी दिसम्बर 2006, खण्ड 38, अंक–4 नई दिल्ली।
10. ''महिला सशक्तिकरण : कानून और संविधान की दृष्टि से'' लोक भारत, 8 अप्रैल 2017 (https://lokbharat.in)।
11. डॉ. जयनारायण पाण्डे, ''भारत का संविधान'', सैन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 2006 पृष्ठ–34 ।
12. Dr. Poonam Bawa, 'Power Politics & Women In India' Books Treasure, Jodhpur, January 2011, Page 125.
13. Dr. Hemant Kumar "भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार : विवेचनात्मक अध्ययन" International Journal of Humanities and Social Science Research, Vol. 5, January 2019, Page No. 68-70.

♦❐♦